

फॉर्म अहकाम

ग्राम रौत

(विद्यम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

अदालत बनाम लखू श्री लाली माली (दाख्त)

धारा 91.2 R.A. नं. 329/18

संज्ञ

दिनांक	हुकम या कार्यवाही का विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09/2/18	पहली हल्ला की रिपोर्ट दर्ज कर आलेखी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर फतावली दिनांक 28/2/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (बीसा)	
28/2/18	फतावली पेश हुई आवक लगवई गई। आलेखी उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीएमए अधिवक्ता अण्णाभा पर ही फतावली दिनांक 28/2/18 को पेश हो।	ल/क/सू
08/03/2018	आज फतावली पेश हुई आवक लगवई गई। आलेखी उपस्थित आया है। आलेखी द्वारा आलेखी को स्वीकार किया गया है। अतः ग्राम रौत की आलेखी भूमि से आलेखी को आलेखी रूप से वेकिल किया जाता है। विस्तृत विवरण पृथक से लिखा जाकर संलग्न फतावली है। तहसीलदार तहसील-महवा (बीसा)	ल/क/सू

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नम्बर 229/18 तारीख रजू 09/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का दीडथा बनाम
सल्लू पुत्र जैलाला (परसदी) जति माली निवासी शैत तहसील
मधवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 08/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मधवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री सल्लू ने ग्राम शैत को भूमि ख.न. 391 रकबा 0.03 किस्म जैधुगुरस्ता फसल राबे / खरीफ संवत 20 74 में खरीफ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 391 रकबा 0.03 किस्म जैधुगुरस्ता वाके ग्राम शैत से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.46 न 50 गुणा 2325 शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल खरीफ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

e
 तहसीलदार
 तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्ट्रार ग/प के पेश क्र. 63 पर
 वर्ष 2017-18 में पेश की गयी पत्रावली
 की राशि वास्तविक रूप से 2325 है।
 की जाधी कायमी वसूली हेतु
 दिनांक 28/3/18 तहसील दौसा
 लेखाकार
 तहसील-महवा